

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

प्रदेश के माध्यमिक शालाओं में रिक्त पदों की भर्ती हेतु वेतन भत्ते मद में ₹ 302.02 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,02,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता

मद क्रमांक 2

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक शालाओं में रिक्त पदों की भर्ती हेतु वेतन भत्ते मद में ₹ 113.07 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,13,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना हेतु ₹ 3377.65 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,77,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 5

समग्र योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 4800.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 48,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना हेतु ₹ 1097.24 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,97,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु वेतन भत्ते मद में ₹ 257.67 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,57,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

अनुसूचित जाति पोस्ट छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2378.75 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 23,78,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अशासकीय विद्यालयों को सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए सहायक अनुदान हेतु ₹ 114.26 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 से 11

1. विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर द्वारा संस्थापित विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के संचालन के लिए प्रथम वर्ष हेतु ₹225.00 लाख व्यय संभावित है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से रूपये 200 प्रतीक का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु 2,25,00,200 की आवश्यकता है। संस्थान हेतु पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	लेवल	पद संख्या
1	निदेशक	-	1
2	उप निदेशक	14	1
3	सहायक निदेशक	12	1
4	कार्यालय अधीक्षक	12	1
5	ग्रंथपाल	7	1
6	सहायक ग्रेड-2	6	1
7	लेखापाल	6	1
8	सहायक ग्रेड-3	4	2
9	बुक लिफ्टर	4	2
10	वाहन चालक	4	2

11	भृत्य	1	3
12	सफाई कर्मचारी	कलेक्टर दर	3
13	दैनिक वेतनभोगी मजदूर	कलेक्टर दर	3
	योग		22

2. विवेकानंद विद्यापीठ में निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य हेतु ₹ 330.34 लाख व्यय अतिरिक्त संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 5,55,34,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 से 13

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 992.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,92,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 14

शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार के लिए पुस्तक क्रय हेतु ₹ 7.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जायेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 15

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पी.जी. चिकित्सा छात्रों के स्टाफण्ड हेतु ₹ 45.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु ₹ 2160.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जायेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु ₹ 180.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जायेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 18 से 19

अमृत मिशन योजनांतर्गत ₹ 3600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 20

कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु ₹ 114.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

आगनबाड़ी केन्दों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक योजना अंतर्गत ₹ 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22 से 28

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत ₹ 3079.75 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,79,75,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 29

नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत ₹ 24.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 30

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 31

मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत पोषण आहार व्यय हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 32 से 34

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना अंतर्गत कुल ₹ 11.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 35

कृषक सहायता हेतु ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 36

खरीफ वर्ष 2019 में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन हेतु ₹2420.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹24,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 37 से 38

केन्द्र प्रवर्तित एन.एम.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु ₹48.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 39

5 एच. पी. के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु ₹ 6000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी योजना अंतर्गत स्टील उद्योगों को रियायती पैकेज हेतु ₹ 5093.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,93,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 3384.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 42

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु राशि ₹14.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 43

नवागढ़ समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत ₹ 202.76 लाख का अतिरिक्त एवं खंड रायपुर में ग्राम पचेड़ा जल प्रदाय योजना हेतु ₹ 49.24 लाख कुल ₹ 252.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,52,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 44

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनांतर्गत 11 सड़कों के निर्माण हेतु ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	सड़क का नाम	विकासखंड	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत(लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बेमेतरा	घोघरा से केशली पहुंच मार्ग	नवागढ़	2.90	214.00
2	बलौदाबाजार	चेचरापाली से लम्हाडीपा	कसडोल	5.00	250.00
3	बलौदाबाजार भाटापारा	भरसेला से सिरसाही	पलारी	3.45	175.95
4	बिलासपुर	एरमसाही से तेन्दुआ सड़क निर्माण	मस्तूरी	4.30	236.50
5	रायपुर	धोबभट्टी से परसवानी मार्ग निर्माण	आरंग	2.10	107.10
6	रायपुर	अछोली से भैसमुडी मेन रोड तक	आरंग	2.52	128.52
7	रायपुर	नरियरा से डोमा सड़क निर्माण	आरंग	3.30	165.00
8	रायगढ़	कटेली से केडार	सारंगढ़	8.00	408.00
9	राजनांदगांव	टोलागांव से बोईरडीह ज.पं. खैरागढ़	डोंगरगढ़	2.00	102.00
10	राजनांदगांव	मडियान से डिंगोकाल-खुबाटोला	डोंगरगढ़	5.20	275.60
11	जांजगीर	बलौदा बुडुगहन मुख्य मार्ग से देवांगन मोहल्ला भिलाई तक	बलौदा	2.00	140.00

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 45 से 46

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹ 3073.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,73,68,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 47

संचार क्रांति योजना हेतु ₹ 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।